संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015 टी.सी.

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ दिनांक : 21 मार्च, 2016

विषय- 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' का क्रियान्वयन।

महोदय

भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा-निर्देश 2015" निर्गत किये गये हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग(एल0आई0जी0) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्ल्यू0एस0) रू0 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे तथा निम्न आय वर्ग(एल0आई0जी0) 3.00 लाख रूपये से 6.00 लाख रू0 तक की वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। निर्मित आवासों का न्यूनतम आकार राष्ट्रीय भवन संहिता (एन0बी0सी0) में प्रदान किये गये मानकों के अनुरूप होगा।

2. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गये है:-

(1) भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न आदि के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित मुख्य मंत्रियों के उप समूह के द्वारा दी गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं में फण्डिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है, जिसे वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-8/2015/बी-1-4058/दस-2015-13/2015 दिनांक 09.11.2015 द्वारा लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के लिए केन्द्रांश 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। शेष 40 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन को 04 घटकों में विभाजित किया

18/3/2016
(श्री प्रकाश सिंह)
सचिव,
नगर विकास, नगरीय रोजगार
एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
उ0 प्र0 शा0

गया है:-

(क) <u>ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना-</u>

इस घटक के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग (एल0आई0जी0) के लिये आवास निर्माण हेतु बैंक से लिये गये गृह ऋण के ब्याज पर सब्सिडी दी जायेगी। यह ब्याज सब्सिडी 6.5 प्रतिशत की दर से 15 वर्ष की अवधि के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। ऋण आधारित सब्सिडी केवल रूपया 6.00 लाख तक ऋण राशि के लिये होगी। रूपया 6.00 लाख से अधिक का ऋण गैर सब्सिडीकृत दर पर होगा। ऋण आधारित सब्सिडी आवासों का नव निर्माण, कमरों का विस्तार, रसोई, शौचालय आदि के लिये दिया जायेगा। ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिये आवास का आकार अधिकतम 30 वर्ग मीटर (कार्पेट एरिया) तथा एल0आई0जी0 वर्ग के लिये आवास का आकार अधिकतम 60 वर्ग मीटर (कार्पेट एरिया) तक होगा। आवास एवं शहरी विकास कारपोरेशन (हड्को) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन0एच0बी0) को सब्सिडी के वितरण एवं प्रगति की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सी0एन0ए0) के रूप में नामित किया गया है। लाभार्थी की पहचान के लिए आधारकार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड, लाभार्थी के पैतृक जनपद के राजस्व प्राधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण-पत्र को आधार माना जायेगा। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण राज्य सरकार से कोई अंशदान अपेक्षित नहीं है।

उक्त घटक के पात्र लाभार्थियों-ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 वर्ग के परिवारों के लिये आय प्रमाण-पत्र, आवास स्वामित्व प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र आदि का सत्यापन एवं ऋण प्रार्थना-पत्रों तथा उससे सम्बन्धित दस्तावेजों को तैयार करने हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा) को एजेंसी के रूप में नामित किये जाने का निर्णय किया गया है।

(ख) <u>भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास-</u>

इस घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की भूमि/राज्य सरकार की भूमि/शहरी निकाय की भूमि एवं निजी स्वामित्व की भूमि पर बसे स्लमों के सभी पात्र स्लमवासियों को आवास प्रदान करने के लिये निजी सहभागिता से भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग किया जायेगा और उसी भूमि को स्व-स्थाने(इन-सीटू) पुनर्विकास के लिये लिया जायेगा। स्लम पुनर्विकास के लिये निजी भागीदार का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। स्लमों पर स्व-स्थाने (इन-सीटू) पुनर्विकास की परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)/हस्तान्तरण विकास अधिकार (टी0डी0आर0) आदि देकर प्रोत्साहित किया जायेगा।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के अन्तर्गत दो संघटक हैं:-

(1) "स्लम पुनर्वास संघटक" जो पात्र स्लम वासियों को बुनियादी सिविक अवसंरचना के साथ आवास प्रदान करेगा।

18/7/2016

(2) "मुक्त बिक्री संघटक" जो विकासकर्ताओं को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा ताकि परियोजना को क्रास सब्सिडी दी जा सके।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिये खुली बोली से सकारात्मक प्रीमियम अथवा नकारात्मक प्रीमियम प्राप्त हो सकता है। सकारात्मक प्रीमियम के मामले में, उच्चतम सकारात्मक प्रीमियम वाले विकासकर्ता का चयन किया जायेगा। नकारात्मक प्रीमियम के मामले में निम्नतम नकारात्मक प्रीमियम का प्रस्ताव करने वाले बोलीकर्ता का चयन किया जाएगा।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिए प्रत्येक नगर निकाय का एकल परियोजना खाता होगा, जहाँ सकारात्मक प्रीमियम, केन्द्र सरकार से प्राप्त स्लम पुनर्वास अनुदान तथा राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि को जमा कराया जाएगा और उन्हें नकारात्मक प्रीमियम वाली सभी स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। निर्माण अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को ट्रांजिट आवास की सुविधा विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। पुनर्विकास स्लम परियोजनाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नगारिकों को भूतल अथवा नीचे के मंजिलों में आवास आवंटन को प्राथमिकता दी जायेगी।

ऐसी सभी परियोजनाओं में पात्र स्लमवासियों के लिये सभी निर्मित आवासों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति आवास औसतन का स्लम पुनर्विकास अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 09-11-2015 द्वारा इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्य सरकार का फंडिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सहायता रू0 1.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा रू0 0.67 लाख स्वीकृत किया जायेगा। इस घटक के अन्तर्गत केवल उन्हीं स्लमवासियों को लाभान्वित किया जायेगा जो योजना लागू होने की तिथि 25-6-2015 को व उससे पूर्व स्व-स्थाने निवास कर रहें हों, जिसके लिए प्रमाण स्वरूप निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ग) <u>भागीदारी में किफायती आवास(ए0एच0पी0)</u>

इस घटक के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू0एस0) के लिये निजी क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से किफायती आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। किफायती आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एजेन्सियों अथवा निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं के साथ भागीदारी से किफायती आवास परियोजनायें तैयार की जायेंगी। आवासों को किफायती एवं क्रय क्षमता के अनुरूप बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आवासों के विक्रय मूल्य की ऊपरी सीमा का निर्धारण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अन्य रियायतों जैसे किफायती लागत पर भूमि, स्टाम्प शुल्क में छूट, अतिरिक्त एफ.ए.आर./टी.डी.आर. आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। किफायती आवास परियोजनाओं में अन्य वर्गों के लिये आवासों का निर्माण सम्मिलित होगा किन्तु परियोजना इस घटक के अन्तर्गत तभी अनुमोदित की जा सकेगी जब उसमें

18/3/2016

न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिये प्रस्तावित होंगे तथा परियोजना में निर्मित की जाने वाली आवासों की न्यूनतम संख्या 250 होगी। आवासों का आवंटन राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

इस घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के लिए प्रति आवास की दर से रू0 1.50 लाख केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। अत: यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 09-11-2015 के अनुसार इस योजना में 60 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश अर्थात् रू0 1.50 लाख केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 1.00 लाख प्रति आवास प्रदेश सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। आवासों का निर्माण किफायती बनाने के लिये महायोजना में विभिन्न छूटों पर विचार हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(घ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार

इस घटक में अन्य घटकों का लाभ न ले पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को स्वयं उसके द्वारा नये आवासों के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के सुधार के लिए रू0 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे लाभार्थियों को "सब के लिए आवास कार्ययोजना" में शामिल होना आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी शहरी स्थानीय निकाय/जिला विकास अभिकरण (डूडा) में आवेदन करेंगे। लाभार्थी द्वारा दी गयी सूचना तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आवास की भवन निर्माण योजना को शहरी स्थानीय निकाय/डूडा कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ताकि भूमि के स्वामित्व, लाभार्थी की आर्थिक स्थिति एवं अन्य पात्रताओं का पता लगाया जा सके। आवेदन पत्रों के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय/डूडा द्वारा एकीकृत शहरी आवास परियोजना तैयार की जाएगी जिसमें प्रस्तावित आवासों का निर्माण शहर की आयोजना मानकों के अनुरूप होगा तथा स्कीम का कार्यान्वयन एकीकृत रूप में होगा। ऐसी परियोजनाएं राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार से रू0 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता इस घटक के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 09.11.2015 के अनुसार 60 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष, 40 प्रतिशत राज्यांश अर्थात् रू0 1.50 लाख केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 1.00 लाख, राज्यांश के रूप में प्रति आवास सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। भवन निर्माण लागत की शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा अंशदान के रूप में स्वयं वहन किया जायेगा।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से "मेमोरेण्डम आफ एग्रीमेन्ट" (एम0ओ0ए0) सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा हस्ताक्षरित कर भारत सरकार

को प्रेषित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) हेतु निर्धारित की गयी अनिवार्य शर्तों की समय सीमा मिशन अवधि 2022 तक है। अनिवार्य शर्तों की समय सीमा का उल्लेख वर्षवार करते हुए सहमति भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त अनिवार्य शर्तें तथा उन्हें लागू करने की समय सीमा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	शर्तें (अथवा कार्यकारी आदेश/अधिसूचना/कानून बनाने के माध्यम से)	समय सीमा (वर्ष-वर्ष)
1	राज्य शहर/कस्बे के मास्टर प्लान में चिन्हित रिहायशी जोन में आने वाली भूमि के मामले में अलग से गैर कृषि अनुमति की शर्त को समाप्त करेंगे।	लागू है।
2	राज्य कफियायती आवास के लिए चिन्हित भूमि वाले मास्टर प्लान तैयार/संशोधित करेंगे।	वर्ष, 2016-17
3	राज्य ले-आउट अनुमोदनों और निर्माण करने की अनुमति हेतु एकल खिड़की, समयबद्ध स्वीकृति प्रणाली कार्यान्वित करेंगे।	लागू है।
4	राज्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास के लिए पूर्व अनुमोदित निर्माण करने की अनुमति और ले-ऑउट अनुमोदन प्रणाली अपनाएंगे अथवा निश्चित निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट क्षेत्रफल से कम क्षेत्र के लिए अनुमोदन से छूट प्रदान करेंगे।	लागू है।
5	राज्य प्रथम पक्ष द्वारा परिचालित मॉडल किराया अधिनियम अनुरूप नियम बनायेंगे अथवा मौजूदा किराया नियमों में संशोधन करेंगे।	वर्ष, 2017-18
6	राज्य अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)/फर्शी स्थल संसूचक (एफ0एस0आई0) अंतरणीय विकास अधिकार (टी0डी0आर0) प्रदान करेंगे और स्लम पुनर्विकास और कम लागत आवास के सघनता मानदंडों में छूट प्रदान करेंगे।	अतिरिक्त एफ0ए0 आर0 का प्राविधान लागू है। टी0डी0आर0 एवं सघनता मानदंडों हेतु समय सीमा वर्ष, 2016-17

4. प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशानुसार कार्य योजनाओं और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एस0एल0एस0एम0सी0) का निम्नवत् गठन किया गया है:-

1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0शासन — उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन — सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन — सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व उ0प्र0शासन — सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0शासन — सदस्य
7. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0शासन — सदस्य

8. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति — सदस्य

9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0। — सदस्य

10. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा)/ मिशन डायरेक्टर। — सदस्य सचिव

5. मिशन के दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) नामित किया गया है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अधीन राज्य स्तरीय मिशन निदेशालय का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं निदेशक, सूडा को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

6. योजनान्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस0एल0ए0सी0) का गठन किया गया है, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

(1) मिशन निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी।

(2) निदेशक, आवास बन्धु अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस0एल0ए0सी0) अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट टिप्पणियों और संस्तुतियों सहित एस0एल0एस0एम0सी0 का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करेगी।

7. शहरों में आवासों की वास्तविक मांग के आकलन हेतु उचित माध्यम से मांग-सर्वेक्षण कराया जायेगा। मांग-सर्वेक्षण व अन्य उपलब्ध आकड़ों के आधार पर "सबके लिये आवास कार्य योजना" (एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0) तैयार करायी जायेगी। सबके लिये आवास कार्ययोजना तैयार करते समय नगरीय निकाय में पहले से उपलब्ध किफायती आवासों के स्टाक पर विचार किया जायेगा। आवास कार्ययोजना के आधार पर संसाधनों और प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2022 तक कार्य को विभाजित करके "वार्षिक कार्यान्वयन योजना" (ए0आई0पी0) तैयार की जायेगी। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित किये गये आवासों को एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 तथा ए0आई0पी0 तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के आकलन हेतु तैयार की गयी एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 और ए0आई0पी0 पर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सी0एस0एम0सी0) द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 और कार्यो की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक शहरी निकाय के लिए मिशन के सभी घटकों के अन्तर्गत अलग-अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार किया जायेगा और उन सभी डी0पी0आर0 पर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। एक लाभार्थी सभी विकल्पों अर्थात् 04 घटकों में से केवल एक घटक का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

8. इस मिशन के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी उप-मिशन बनाया जायेगा, जो आवासों के तीव्र एवं गुणवत्तापरक निर्माण के लिये आधुनिक, अभिनव एवं हरित प्रौद्योगिकियों तथा भवन सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करेगा। केन्द्र सरकार की सहायता से प्रदेश तथा शहर स्तर पर तकनीकी और परियोजना प्रबन्धन कक्ष का गठन किया जायेगा। इनके द्वारा आयोजना, अभियान्त्रिकी, सामाजिक गतिशीलता तथा वित्तीय आयोजना आदि विभिन्न क्षमताओं पर विचार कर सुझाव प्रस्तुत किये जायेगें। राज्य स्तरीय तकनीकी कक्ष तथा शहर स्तरीय तकनीकी कक्ष के गठन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9. प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी एजेन्सियों को शामिल करते हुए गुणवत्ता निगरानी और आश्वासन रिपोर्ट तैयार करायी जायेगी। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लेखा परीक्षा करायी जाएगी। यह लेखा परीक्षाएं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य विश्वसनीय संस्थाओं के माध्यम से करायी जाएगी। सोशल आडिट प्लान में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। "सबके लिये आवास कार्ययोजना" तैयार करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत के आधार पर वित्तपोषण किया जायेगा। केन्द्रीय सहायता 40%, 40% व 20% की तीन किश्तों में जारी की जायेगी। इसी अनुपात में राज्यांश भी जारी किया जायेगा। अगली किश्त प्राप्त करने के लिए पूर्व में अवमुक्त किश्त के 70 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के अन्तर्गत जारी की गयी सहायता को अलग खाते में रखा जायेगा। सबके लिए आवास कार्ययोजना (एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0) के आधार पर भारत सरकार से वित्तीय सहायता की अपेक्षाओं को प्रक्षेपित किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यान्वयन योजना (ए0आई0पी0) प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा वार्षिक बजट का निर्धारण किया जाएगा।

10. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/3/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव

संख्या–162 2016/623 (1)/69-1-2016, तद्दिनांक।

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
3- संयुक्त सचिव(हाउसिंग फार आल) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- निदेशक,(हाउसिंग फार आल निदेशालय), भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इूडा, उत्तर प्रदेश।
17- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
19- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
20- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
21- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
22- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
23- निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
24- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
25- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

18.03.2016

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।